

न. सं. 5-27/2017-201/से.एवं आ.अनु./  
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

### नीलामी सूचना

एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री जिसका नीलामी ”  
**जहाँ है जैसा है के आधार** ” पर निपटान करेगी। यह नीलामी दिनांक 27.10.2017  
पूर्वाह्न 10.30 बजे भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर सभागार, एन.आई.ई. परिसर, श्री  
अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016 में की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता उल्लेखित तिथि  
एवं समय पर रू. 2,00,000/- का केवल डीडी/बीसी सचिव, एन.सी.ई.आर.टी. के  
पक्ष में बोली राश्ट्री जमा करके अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री की नीलामी में भाग ले  
सकते हैं। अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस को **प्रातः**  
10.00 बजे से **सायं 5.00** बजे के मध्य में किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तों का विवरण एन.सी.ई.आर.टी. की वेबसाइट  
[www.ncert.nic.in](http://www.ncert.nic.in) पर उपलब्ध है जिसे आवश्यकतानुसार डाउनलोड भी  
किया जा सकता है।

द्ध जे.पी. भुलानियात्र  
वरिष्ठ भण्डार अधिकारी, एनसीईआरटी  
नेन 011-26534138

### नियम एवं शर्तें:-

- 1 अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री को सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को जहाँ है जैसा है के आधार पर बेची जाएगी।
- 2 सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को सौदे/बोली का राशि उसी दिन नकद जमा करवाना होगी।
- 3 इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिभूति राशि ईएमडी के रूप में **रू.2,00,000/-** का डीडी/बीसी जो कि सचिव,एनसीईआरटी के पक्ष में देय होगा। यह ईएमडी राशि नगद के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा। अफल बोलीदाताओं को यह राशि वापिस कर दी जाएगी **सिवाय उच्च बोलीकर्ता एवं द्वितीय बोलीकर्ता को छोड़कर।**
- 4 बोलीकर्ता को बोली रू.25,000/- प्रति बोली के अनुसार बढ़ाई जाएगी। इससे कम की राशि की बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 5 उन्हीं बोलीकर्ताओं को नीलामी कक्ष/सभागार में प्रेवष्टा दिया जायेगा जिन्होंने सुरक्षा जमा राशि/ई.एम.डी. जमा करेंगे जो कि क्रम संख्या 03 में दी गई है, अन्य को नहीं ।
- 6 अनुपयुक्त /अप्रचलित सामग्री का निरीक्षण एनसीईआरटी परिसर में किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक के बीच किया जा सकता है।
- 7 सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री का स्वामित्व सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात बोली के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर दिया जाएगा।
- 8 सबसे ऊँची बोली लगाने वाले/खरीददार को अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री को

- अपनी लागत पर तीन दिनों के भीतर उठानी होगी। उसके पष्ठचात भूमि किराए के रूप में रू.5000/- प्रतिदिन की दर से राष्ठा प्रभारित की जाएगी।
- 9 यदि सबसे ऊँची बोली लगाने वाला अनुपयुक्त/अप्रचलित सामग्री को तीनों में नहीं उठाता है तो उसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई राष्ठा दो लाख की बोली जप्त कर ली जायेगी तथा उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 10 सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को पूर्ण बोली राष्ठा का 5 प्रतिष्ठात मूल्य सर्वाधित कर द्धवैटऱ संबद्ध प्राधिकारी के पास जमा करवाना होगा और जमा पर्ची एनसीईआरटी में प्रस्तुत की जाएगी।
- 11 यदि दोनों पक्षों के बीच इस संविदा के किसी भी पहलू के संबंधा में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस स्थिति में एनसीईआरटी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- 12 यदि नीलामी की तारीख को किसकी भी कारण से अवकाष्ठा घोषित कर दिया जाता है तो यह नीलामी अगले कार्यदिवसों पर की जाएगी।
- 13 नीलामी दिनांक **27.10.2017** को **10.30 बजे** सभागार भारतीय स्टेट बैंक के ऊपर श्री अरविन्द मार्ग एन.सी.ई.आर.टी में होगी।  
एनसीईआरटी के पास बिना कोई कारण बताएँ नीलामी को रद्द करने का
- 14 अधिकाार सुरिक्षत रहेगा।

द्ध जे.पी. भुलानियाऱऱ  
वरिष्ठा भण्डार अधिकाारी,एनसीईआरटी  
नेन नं. 011-26534138